## श्री मुस्ताकमिया जब्बरमिया शेख

## बनाम

श्री एम. एम. मेहता, पुलिस कमिश्नर और अन्य 23 मार्च, 1995

[ एस. सी. अग्रवाल और फैज़ान उदिन, न्यायाधिपतिगण.]

गुजरात असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1985:

धारा 2 (सी)-खतरनाक व्यक्ति-विरूद्ध निरोध आदेश - सामग्री में यह सुझाव देना चाहिए कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति आदतन निर्दिष्ट अपराध कर रहा था।

धारा 3 (1) - निरोध आदेश पर आधारित : हिरासत में लिये गये लोगो की आवारा और आकस्मिक आपराधिक गतिविधियां, जिनका सार्वजिनक व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है - अपराध आईपीसी के भाग XVI या XVII में निर्दिष्ट नहीं - केवल बिना लाईसेंस वाले आग्नेयास्त्रो का कब्जा - आदेश अविधिक अभिनिधीरित किया गया - किसी पुरानी आपराधिक गतिविधि को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं ठहराया गया - कथित गतिविधियों को 'सार्वजिनक व्यवस्था - सार्वजिनक व्यवस्था - सार्वजिनक व्यवस्था' और 'कानून और व्यवस्था - के बीच का अंतर

शब्द और वाक्यांशः

'आदतन' - गुजरात असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम, 1985 की धारा 2 (सी) का अर्थ।

हिरासत में लिये गये याचिकाकर्ता को सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिये प्रतिकूल तरीके से कार्य करने से रोकनेकी दृष्टि से ग्जरात असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम, 1985 की धारा 3 (1) के तहत एक नजरबंद आदेश पारित किया गया था; सबसे पहले, धारा 307, 452/34 आईपीसी, 25ए (1) शस्त्र अधिनियम और बॉम्बे प्लिस अधिनियम की धारा 135 (1) के तहत आरोप एक घटना पर आधारित है जिसमें याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के छोटे भाई के बीच विवाद के बाद, याचिकाकर्ता ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ शिकायतकर्ता को बाल काटने वाले सैलून के अंदर से बाहर निकाला, जबकि उसके सहयोगियों ने शिकायतकर्ता और एक अन्य व्यक्ति को घायल करने के लिए चार गोलियां चलाई; सिजमें शिकायतकर्ता और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गये; दूसरा, किसी फरार अपराधी को शरण देने के लिये आईपीसी की धारा 212 और 214 के तहत आरोप; तीसरा, उसने 500 रुपये का सामान खरीदा और इसकी कीमत की मांग पर उसने व्यापारी को सार्वजनिक सड़क पर घसीटा और पीटा; चौथा, उसने एक गवाह को इस संदेह में पीटा कि वह प्लिस का मुखबिर है और वहाँ इकट्ठा हुए लोगों पर रिवॉल्वर भी तान दी; और

पाँचवाँ; बिना लाईसेंस वाली रिवॉल्वर रखने के लिए शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1) के तहत आरोप। इन मामलों के आधार पर निरोध प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 2 (सी) की परिभाषा के भीतर एक खतरनाक व्यक्ति था और आदतन हिंसक गतिविधियों को करने और करने का प्रयास करने और भय का वातावरण बनाने में लगा हुआ है।

याचिकाकर्ता ने इस अदालत में आदेश की वेधता को चुनौती देते हुये एक रिट याचिका दायर दायर की जिसमें कहा गया कि (i) यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि वह धारा 2 (सी) के अर्थ के भीतर एक खतरनाक व्यक्ति था; और (ii) कथित तौर पर आवारा और व्यक्तिगत होने की घटनाओं का सार्वजनिक व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है, हालांकि वे कानून और व्यवस्था से संबंधित हो सकती हैं।

रिट याचिका को स्वीकार करते हुये और निरोध आदेश को रद्द करते हुये इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1. ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह उचित और निश्चित निष्कर्ष निकाला जा सके कि हिरासत में लिया गया याचिकाकर्ता आदतन आपराधिक गतिविधियों में संलग्न था और इसलिए, एक खतरनाक व्यक्ति था। हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने बिना दिमाग लगाए विवादित हिरासत का आदेश पारित कर दिया है। इसलिए इसे कायम नहीं रखा जा सका। [ 974 - सी]

2. गुजरात असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1985 की धारा 3 का उददेश्य ऐसे अपराधियों से निपटना है, जिन पर साधारण कानून के तहत आसानी से मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है और जिन्हें विशेष कारणों से, उनके द्वारा किए गए कथित अपराधों के संबंध में दंडात्मक कानूनों के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने की इस शक्ति का उपयोग संयम और बह्त सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अधिनियम के तहत निरोध का आदेश पारित करने के लिए निरोध प्राधिकारी को संत्ष्ट होना चाहिए कि वह अधिनियम की धारा 2 (सी) के अर्थ के भीतर एक 'खतरनाक व्यक्ति' है जो आदतन अपराध करता है, या दंड संहिता के अध्याय XVI या XVII के तहत दंडनीय अपराधों में से किसी को करने का प्रयास करता है या उकसाता है या शस्त्र अधिनियम के अध्याय V के तहत दंडनीय किसी भी अपराध के अंतर्गत जैसा कि धारा 3 की उप-धारा (4) के अनुसार यह ऐसा 'खतरनाक व्यक्ति' है जो धारा 3 के उद्देश्य के लिए एक 'सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिये प्रतिकूल किसी भी तरीके से कार्य करने वाला व्यक्ति माना जायेगा, जिसके खिलाफ कानूनी रूप से हिरासत का आदेश दिया जा सकता है।

किसी व्यक्ति को 'खतरनाक व्यक्ति' अभिव्यक्ति के भीतर लाने के लिए यह इंगित करने के लिए सकारात्मक सामग्री होनी चाहिए कि ऐसा व्यक्ति आदतन अपराध कर रहा है या करने का प्रयास कर रहा है या अपराध करने के लिए उकसाया जा रहा है और किसी एकल या अलग-थलग व्यक्ति को एक आदतन के रूप में चित्रित नहीं किया जा सकता है। [968 - डी-एफ, 969-ई-एफ]

गोपालन चारी बनाम केरल राज्य, एआईआर (1981) एससी 674 और विजय नारायण सिंह बनाम बिहार राज्य, [1984] 3 एस. सी. सी. 14, संदर्भित किया

3. कानून और व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के बीच बीच अंतर करना होगा क्योंिक अक्सर ये दो अभिव्यक्तियाँ भ्रमित होती हैं और किसी व्यक्ति की गतिविधियों के संबंध में संबंधित अधिकारियों द्वारा निरोध आदेश पारित किए जाते हैं जो विशेष रूप से कानून और व्यवस्था के क्षेत्र में आते हैं और जिनका सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव से कोई लेना-देना नहीं है। किसी व्यक्ति डोमेन के अंतर्गत आते हैं और जिसका सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव से कोई लेना देना नहीं है। किसी व्यक्ति डोमेन के अंतर्गत आते हैं और जिसका सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव से कोई लेना देना नहीं है। किसी व्यक्ति की गतिविधियों को 'सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल किसी भी तरह से कार्य करने' की अभिव्यक्ति के भीतर लाने के लिए, कथित गतिविधियों का परिणाम और विस्तार और

पहुंच ऐसी प्रकृति की होनी चाहिए कि वे उससे निपटने के लिए सामान्य कानून की क्षमता से परे जाएं या समाज के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करने वाली उसकी विध्वंसक गतिविधियों को रोकें। यह अशांति की मात्रा और समाज या किसी इलाके के लोगों के जीवन की गति पर इसका प्रभाव है जो यह निर्धारित करता है कि क्या इस तरह की गतिविधि के कारण होने वाली अशांति केवल 'कानून और व्यवस्था' के उल्लंघन के बराबर है या यह 'सार्वजनिक व्यवस्था' के बराबर है। [ 970 - डी-ई]

अरुण घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, [1970] 1 एस. सी. सी. 98 और पीयूष कांतिलाल मेहता बनाम पुलिस आयुक्त, [1989] पूरक 1 एससीसी 322, संदर्भित किया।

4. पहली आपराधिक गतिविधि एक व्यक्ति के खिलाफ निर्देशित की गई थी और घटना की प्रकृति से यह मान लेना मुश्किल है कि इसने इलाके की शांति को बाधित करने वाली सार्वजनिक व्यवस्था को जन्म दिया। अधिक से अधिक यह केवल एक व्यक्ति के खिलाफ निर्देशित एक आपराधिक कार्य था जिसका सार्वजनिक व्यवस्था के सवाल से कोई लेना-देना नहीं है। इसके अलावा घटना के 16 महीने से अधिक समय बीतने के बाद हिरासत का आदेश पारित किया गया था। कथित पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधि और निरोध आदेश के बीच समय का यह लंबा अंतराल अपना महत्व खो देता है क्योंकि उक्त पूर्वाग्रहपूर्ण आचरण समय के बिंदू पर अन्मानित नहीं

था और इस निष्कर्ष के साथ कोई तर्कसंगत संबंध नहीं था कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरोध आवश्यक था। इस तरह की पुरानी घटना को हिरासत का आदेश पारित करने के लिए उचित आधार नहीं माना जा सकता है। [ 972 - ए-सी]

- 5. दूसरी घटना कि बंदी-याचिकाकर्ता अपराधीको आश्रय दे रहा था जो आईपीसी की धरा 212/214 के तहत एक अपराध है और आई. पी. सी. के अध्याय 11 के तहत आता है, न कि किसी भी अध्याय XVI या XVII में जो कि अधिनियम की धारा 2 (सी) की आवश्यकता है। इसलिए, इस घटना को निरोध अधिकारी की संतुष्टि का आधार नहीं बनाया जा सकता है कि याचिकाकर्ता एक आदतन अपराधी है, ताकि निरोध के आदेश को बनाए रखा जा सके। [ 972 जी]
- 6. तीसरी और चौथी घटनाएँ अर्थात एक व्यापारी और एक गवाह को पीटने की घटनाएँ एक व्यक्ति के विरूद् की गई थीं, जिनका सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं था जो जीवन की समान गित या इलाके की शांति को बाधित करता था। इसलिए, दोनों घटनाओं में से किसी को भी सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली घटना नहीं कहा जा सकता है और न ही इन आवारा और आकस्मिक कृत्यों से याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 2 (सी) के अर्थ के भीतर एक खतरनाक व्यक्ति के रूप में ब्रांडेड किया जा सकता है, जो आदतन

सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली या प्रभावित करने वाली गतिविधियों में संलग्न था। [ 973 - डी, एच; 974-ए]

7. अंत में, बिना किसी अतिरिक्त चीज के केवल आग्नेयास्त्र रखने से मामला सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कृत्य के दायरे में नहीं आ सकता जैसा कि अधिनियम की धारा 3 में विचार किया गया है जब तक कि धारा2 (सी) के घटक भी शामिल न हो। [ 974 - बी]

आपराधिक मूल क्षेत्राधिकार : रिट याचिका (आपराधिक) नंबर 335/1994

( भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

सुशील कुमार, सुश्री सिफया खान, शकील अहमद और आई. जी. मंसूर अली, याचिकाकर्ता के लिए।

एस. के. ढोकािकया, एस. के. सभरवाल, सुश्री एच. वाही प्रतिवादीगणों के लिये।

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय फैज़ान उदिन, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था।

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा पुलिस आयुक्त, शाहीबाग, अहमदाबाद शहर द्वारा पारित दिनांक 19 अगस्त, 1994 के निरोध आदेश की शुद्धता और वैधता को चुनौती देते हुए दायर किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता को गुजरात असामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1985 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये याचिकाकर्ता को हिरासत में लिया गया इस दृष्टिकोण के साथ कि याचिकाकर्ता को अहमदाबाद शहर के क्षेत्र में सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल किसी भी तरह से कार्य करने से रोका जाये। उक्त आदेश के क्रम में याचिकाकर्ता को जेल, जूनागढ़ में निरूद्ध किया गया है।

2. बंदी-याचिकाकर्ता की कथित गतिविधियों को संक्षेप में बताया गया है, जैसा कि 19 अगस्त, 1994 के निरोध के आधारों में कहा गया है कि याचिकाकर्ता अहमदाबाद शहर के शाहपुर, तीन दरवाजे के पटवाशेरी क्षेत्र और सरदार गार्डन क्षेत्र में आग्नेयास्त्र रखने, सार्वजनिक रूप से निर्दोष नागरिकों को पीटने और उन पर हमला करने और उक्त क्षेत्रों में भय और आतंक का माहौल पैदा करने की आपराधिक और असामाजिक गतिविधियों में अदातन लिप्त था। यह आरोप लगाया गया है कि चार गवाहों ने अपने बयान में कहा है कि बंदी-याचिकाकर्ता एक कठोर, उग्र और आदतन अपराधी है और इसलिए, कोई भी उसके खिलाफ शिकायत करने के लिए आगे नहीं आता है और उक्त गवाहों ने याचिकाकर्ता के डर से अपने नाम

और पहचान का खुलासा नहीं करने का अनुरोध किया है और इसलिए, गवाहों के नाम और पहचान का खुलासा अधिनियम की धारा 9 (2) के तहत जनहित में नहीं किया गया है। बंदी-याचिकाकर्ता के खिलाफ कथित प्रासंगिक आपराधिक गतिविधियों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम	दिनांक	घटना का	सीआर	अपराध की प्रकृति	आपत्ति
	और	स्थान	नंबर		जनक
	समय				वस्तुओ
					की
					जब्ती
					निस्तार
					ण
1.	24.4.93	ग्लैमर हेयर	I	अंतर्गत धारा 307,	लंबित
	6.30 पी	ड्रेसर शाहपुर	66/93	452/34 आईपीसी	
	एम			और 25(1)ए,	
				आर्म्स एक्ट एवं	
				धारा 135(1)	
				बॉम्बे पुलिस	
				अधिनियम	
2.	11.04.9	डीसीबी	7/94	212/214 फरार	-
	4,	शाहपुर		अपराधी को शरण	

	10.30 ए			देना अंतर्गत
	एम			शाहपुर के सीआर
				नंबर 63/93
3.	10.8.94	पटवाशेन क्षेत्र,	-	खरीदे हुये माल -
	,	टिन दरवाजा		की कीमत
	4.00 पी			500 रूपये की
	एम			मांग पर व्यापारी
				को सार्वजनिक
				जगह पर घसीटा
				और पीटा और
				वहां पर एकत्रित
				लोगो पर रिवॉल्वर
				तान दी,
4.	12.8.94	पूर्वी दरवाजा,	-	गवाह को रोकते -
	,	सरदार गार्डन		हुये इस संदेह पर
	7.00 पी			पिटाई करना कि
	एम			वह उसकी
				असामाजिक
				गतिविधियो और
				वहां पर एकत्र हुये

				ट्यक्ति र्व	ने ओर		
				रिवॉल्वर	ताने		
				जाने के बाबत वह			
				पुलिस को सूचना			
				दे रहा था।			
5.	14.8.94	-	डीसीबी	अधिनियम	की	34	नंबर
	7.45		19/94	धारा 25	/1 के	की	देशी
	पीएम			तहत		बंदूक	
						और	4
						कार	तूस

3. उपरोक्त मामलों और संबंधित सामग्री के आधार पर और इसके साथ-साथ चार गवाहों के बयानों के आधार पर हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 2 (सी) की परिभाषा के भीतर एक विरोधी तत्व और एक खतरनाक व्यक्ति है जो आदतन हिंसक गतिविधियों को करने और करने के प्रयास कर रहा है और बिना पास/परिमट के आग्नेयास्त्र रखकर भय का वातावरण बना रहा है और याचिकाकर्ता को सार्वजिनक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल तरीके से कार्य करने से रोकने के उद्देश्य से निरोध का विवादित आदेश पारित किया गया।

- 4. प्रारंभ में श्री स्शील क्मार, विद्वान वरिष्ठ वकील याचिकाकर्ता ने प्रचार किया कि याचिकाकर्ता ने 26.8.1993 अधीक्षक, जिला जेल, जूनागढ़ को इसके निस्तारण के लिए सक्षम अधिकारियों को प्रेषितकरने के लिये अभ्यावेदन दिया था, लेकिन उकत अभ्यावेदन याचिकाकर्ता का अभी तक निस्तारण नहीं किया गया है। लेकिन श्री पी. एस. व्यास, ग्जरात सरकार के अवर सचिव, गृह विभाग (विशेष) ने अपने हलफनामे में स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन दिनांक दिनांक 26.8.1994 जो कि उसके द्वारा दिनांक 31.8.1994 को प्रस्त्त किया गया था और राज्य सरकार द्वारा दिनांक 5.9.1994 को प्राप्त किया गया था, को दिनांक 6.9.1994 को तय किया गया था और चूंकि 9.10.94 और दिनांक 11.9.1994 को छ्ट्टियाँ थीं, इसलिए उक्त निर्णय के बारे में याचिकाकर्ता को दिनांक 12.9.1994 के पत्र द्वारा सूचित किया गया था। इस स्थिति का सामना करते ह्ए विद्वान वकील के लिए इस आधार पर आगे जोर देना ना संभव नहीं था।
- 5. बंदी याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने, हालांकि, निरोध के आक्षेपित आदेश का जोरदार विरोध करते हुये कहा कि यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि बंदी-याचिकाकर्ता एक खतरनाक व्यक्ति है, जैसा कि अधिनियम की धारा 2 (सी) के तहत परिभाषित किया गया है और न ही कोई सामग्री या बंदी याचिकाकर्ता का कोई पूर्व इतिहास या

पूर्ववर्ती यह दिखाने के लिए कि याचिकाकर्ता आदतन समाज विरोधी गतिविधियों में लगा ह्आ है, जिसे सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता एक विवाहित व्यक्ति है और रेडीमेड कपड़ों का वैध व्यवसाय करके एक बड़े परिवार का पालन-पोषण करता है। उन्होंने आगे कहा कि घटना दिनांक 4.11.94 को धारा 212/214 आईपीसी के तहत दर्ज की गई है। वांछित अपराधी को कथित रूप से शरण देने का मामला आईपीसी के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अंतर्गत नहीं आता है जैसा कि आई. पी. सी. की धारा 2 के खंड (सी) में उल्लिखित है और इसलिये, हिरासत के विवादित को पारित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। उन्होंने यह भी प्रस्त्त किया कि घटना दिनांक 24.4.1993 प्रानी है ओर एक व्यक्तिगत घटना से संबंधित है और इसका किसी सार्वजनिक व्यवस्था की समस्या से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि यह अधिक से अधिक कानून एवं व्यवस्था से संबंधित एक छिटप्ट और व्यक्तिगत घटना हो सकती है। उन्होने यह भी प्रस्तुत किया कि केवल कथित का 32 बोर की देशी रिवॉल्वर को चार कारतूसो के साथ बिना किसी अन्य चीज के अपने पास रखना, विशेष रूप से जब उसमें जंग लगी हुई पाई गई और बैरल टूटा ह्आ पाया गया तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह चालू हालत मे है और इसलिये, अकेले रिवॉल्वर की जब्ती की परिस्थितियाँ सार्वजनिक व्यवस्था

से संबंधित कोई समस्या पैदा नहीं कर सकती। उनहोनेयह भी कहा कि दिनांक 10.8.94 और 12.8.94 की घटनाये भी छिटपुट और व्यक्तिगत घटनाये हैं जिनका लोक व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है। इसलिए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह इंगित करने के लिये किसी भी सामग्री के अभाव में कि हिरासत में लिया गया याचिकाकर्ता खतरनाक व्यक्ति था जो आदतन आईपीसी के अध्याय XVI या अध्याय XVII के तहत दंडनीय किसी भी अपराध को अंजाम दे रहा था या करने का प्रयास कर रहा था या ऐसा करने के लिये उकसा रहा था। शस्त्र अधिनियम के अध्याय V के तहत दंडनीय अपराधों में, निरोध के आदेश को कानूनी रूप से यथावत नहीं रखा जा सकता था।

6. उपरोक्त प्रस्तुतियों से निपटने की दृष्टि से याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा आदेश की वैधता/औचित्यता की जांच करने के लिए उस अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों पर गोर करना उचित होगा जिसके तहत निरोध करने का आदेश पारित किया गया है। यह बताया जा सकता है कि अधिनियम सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिये हानिकारक उनकी असामाजिक और खतनाक गतिविधियों को रोकने के लिये बूटलेगर्स, खतरनाक व्यक्तियों, नशीली दवाओं के अपराधियों, अनैतिक तस्करी अपराधी और संपत्ति हड़पने वालों की निवारक हिरासतका प्रावधान करता है। वर्तमान मामले में निरोध के आधारों को ध्यान में रखते हुए, हिरासत

मे लेने वाले प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो गये कि हिरासत में लिया गया याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 2 के खंड (सी) के अर्थ के तहत एक 'खतरनाक व्यक्ति ' था और हिरासत का आदेश पारित किया गया। अधिनियम की धारा 2 (सी) इस प्रकार है:

"खतरनाक व्यक्ति का अर्थ है एक व्यक्ति, और या तो स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या नेता के रूप में, भारतीय दंड संहिता के अध्याय XVI या अध्याय XVII के तहत दंडनीय किसी भी अपराध को आदतन करता है या करने का प्रयास करता है या उसे करने में उकसाता है या शस्त्र अधिनियम, 1959 के अध्याय 5 के तहत दंडनीय अपराधों में से कोई भी।"

यहा अधिनिचयम की धारा 3 के प्रासंगिक भाग को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत करना भी उचित होगाः

- "3 (1) . राज्य सरकार यदि किसी व्यक्ति के संबंध में संतुष्ट है कि उसे सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाब के लिये प्रतिकूल किसी भी तरीके से कर्रय करने से रोकने की दृष्टि से, ऐसा करना आवश्यक है, तो यह निर्देश देने वाला आदेश दे सकती है ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लिया जाये।
- (2) यदि जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी क्षेत्र में प्रचलित या प्रबल होने की संभावना वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का समाधान हो जाता

है कि ऐसा करना आवश्यक है, तो वह लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकती है कि जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त, यदि उप-धारा (1) में दिए गए प्रावधानों से संतुष्ट हो, तो भी उक्त उप-धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकते है।

(3).....

(4) इस धारा के प्रयोजन के लिए, एक व्यक्ति को लोक व्यवस्था के रखरखाव के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल कार्य करने वाला माना जाएगा, जब ऐसा व्यक्ति किसी भी गतिविधि में शामिल है या शामिल होने की तैयारी कर रहा है, चाहे वह शराब तस्कर हो या खतरनाक व्यक्ति या मादक पदार्थ अपराधी या अनैतिक तस्कर अपराधी या संपत्ति हडपने वाला, जो लोक व्यवस्था के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है या प्रतिकृल रूप से प्रभावित करने की संभावना रखता है।

स्पष्टीकरण - इस उप-धारा के प्रयोजनो के लिये, यदि इस उपधारा में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति की कोई भी गतिविधि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है या प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना समझी जायेगी अन्य बातो के साथ यदि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी नुकसान, खतरे या अलार्म का कारण बनना या होने की संभावना है या किसी भी वर्ग में आम जनता के बीच असुरक्षा

की भावना या जीवन, संपत्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये गंभीर या व्यापक खतरा होने की संभावना है।"

7. अधिनियम की प्रस्तावना को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि अधिनियम में निहित प्रावधानों के उद्देश्य, जिनमें ऊपर प्नरुत्पादित प्रावधान भी शामिल हैं, अपराध को रोकना और समाज को असामाजिक तत्वों और खतरनाम पात्रों से समाज की रक्षा करना है उन्हें ऐसी अवधि के लिये हिरासत में रखना जिससे वे अवांछनीय आपराधिक गतिविधियो का सहारा लेने से अक्षम हो जाया। अधिनियम के प्रावधानो का उददेश्य आदतन आपराधिक खतरनाक और हताश डाक्ओ से निपटना हे जो इतने कठोर और स्धार योग्य नहीं है कि दंड कानूनो के सामान्य प्रावधानो और अपराध के लियेसजा का नैतिक डर उनके लिये पर्याप्त निवारक नहीं है। इसलिये अधिनियम की धारा 3 का उद्देश्य ऐसे अपराधियों से निपटना है जिन्हें साधारण कानून के तहत मामला दर्ज करने के लिए आसानी से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और जिन्हें विशेष कारणों से उनके द्वारा कारित किये गये अपराधों के संबंध में इस कानून के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने की इस शक्ति का उपयोग संयम और बह्त सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अधिनियम के तहत हिरासत का आदेश पारित करने के लिए हिरासत में लेने वाले

प्राधिकारी को संतुष्ट होना चाहिए कि वह अधिनियम की धारा 2 (सी) के अर्थ के भीतर एक 'खतरनाक व्यक्ति' है जो आदतन अपराध करता है, या दंड संहिता के अध्याय XVI या XVII के तहत दंडनीय अपराधों में से किसी को करने का प्रयास करता है या उकसाता है या शस्त्र अधिनियम के अध्याय V के तहत दंडनीय किसी भी अपराध के अंतर्गत जैसा कि धारा 3 की उप-धारा (4) के अनुसार यह ऐसा 'खतरनाक व्यक्ति' है जो धारा 3 के उद्देश्य के लिए एक 'सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिये प्रतिकूल किसी भी तरीके से कार्य करने वाला व्यक्ति माना जायेगा, जिसके खिलाफ कानूनी रूप से हिरासत का आदेश दिया गया है।

8. अधिनियम ने धारा के खंड (सी) में 'खतरनाक व्यक्ति' को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो या तो स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या नेता के रूप में आदतन किसी अपराध को अंजाम देता है या करने का प्रयास करता है या ऐसा करने के लिये उकसाता है या दंड संहिता के अध्याय XVI या XVII के तहत दंडनीय अपराध या शस्त्र अधिनियम के अध्याय 5 के तहत दंडनीय अपराधों में से कोई भी अपराध करता है। हालांकि, अभिव्यक्ति 'आदत' या 'आदतन' को अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। पी. रामनाथ द्वारा लिखित लॉ लेक्सिकन, पुनर्मुद्रण संस्करण 1987 के पेज 499 के अनुसार आदतन का अर्थ है निरंतर, प्रथागत और निर्दिष्ट आदत का आदी और

आदतन अपराधी शब्द का अर्थ लिया जायेगा किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू किया जाए जिसे पहले किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, और दो बार से अधिक जेल की सजा स्नाई गई हो। 'आदतन' शब्द का अर्थ है 'आम तौर पर' और 'आम तौर पर'। लगभग समान अर्थ अय्यर के न्यायिक शब्दकोश के 10 वें संस्करण-पृष्ठ 485 में 'आदत' शब्द को दिया गया है। यह अवसरों की आवृत्ति को नहीं बल्कि अभ्यास की अपविर्तनीयता को संदर्भित करता है और आदत को तथ्यो की समग्रता से साबित करना होता है। इसलिए, यह इस प्रकार है कि एक पृथक अपराध में किसी व्यक्ति की संलिप्तता न तो सबूत है और न ही यह निष्कर्ष निकालने में मदद करने वाली कोई सामग्री है कि कोई विशेष व्यक्ति एक 'खतरनाक व्यक्ति' है, जब तक कि ऐसी सामग्री न हो जो उसकी संलिप्तता का स्झाव देती हो, जिसके कारण ऐसा होता है ऐसे मामलों में संलिप्तता जो एक उचित निष्कर्ष की ओर ले जाती है कि व्यक्ति एक आदतन अपराधी है। गोपालन चारी बनाम केरल राज्य, ए. आई. आर. (1981) एस. सी. 674 में इस न्यायालय को 'ब्री आदत', 'आदतन', 'हताश', 'खतरनाक' और 'खतरनाक' जैसी अभिव्यक्तियों से निपटने का अवसर मिला था। इस न्यायालय ने कहा कि आदत शब्द का तात्पर्य बार-बार और सामान्य अभ्यास से है। प्नः विजय नारायण सिंह बनाम बिहार राज्य, [1984] 3 एस. सी. सी. 14 में इस न्यायालय ने 'आदतन'

अभिव्यक्ति का अर्थ बार-बार या निरंतरता से किया और कहा कि इसका तात्पर्य समान दाहेराव वाले कृत्यो को एक साथ जोडने वाली निरंतरता के धागे से है, लेकिन अलग-अलग, व्यक्तिगत और भिन्न कृत्यों और आदत का अन्मान को उचित ठहराने के लिये बार बार , लगातार और समान कार्य आवश्यक हैं। इसलिए, यह आवश्यक रूप से इस प्रकार है कि किसी व्यक्ति को अधिनियम की धारा 2 के खंड (सी) में परिभाषित 'खतरनाक व्यक्ति' अभिव्यक्ति के भीतर लाने के लिए, यह इंगित करने के लिये सकारात्मक सामग्री होनी चाहिये कि ऐसा व्यक्ति आदतन अपराध कर रहा है या ऐसा करने का प्रयास कर रहा है या ऐसे अपराध कारित करने के लिये उकसा रहा है जो आईपीसी के अध्याय XVI या XVII के तहत या शस्त्र अधिनियम के अध्याय V के तहत दंडनीय हैं और कि आई. पी. सी. के अध्याय XVI या XVII या शस्त्र अधिनियम के अध्याय V में एकल या पृथक कार्य को अधिनियम की धारा 2 (सी) में निर्दिष्ट आदतन कार्य के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।

9. इसके अलावा, अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) राज्य सरकार और राज्य सरकार के निर्देश के तहत एक जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त को किसी व्यक्ति को संतुष्ट होने पर हिरासत में लेने की शिक्त प्रदान करती है कि ऐसा करने के लिये यह आवश्यक है इस विचार से कि उसे 'सार्वजनिक व्यवस्था' के रखरखाव के लिए किसी भी तरह से

प्रतिकूल कार्य करने से उसे रोकने के लिए ऐसा करे। उपरोक्त पैरा में प्न: प्रस्त्त धारा 3 की उप-धारा (4) के साथ संलग्न स्पष्टीकरण में विचार करता है कि 'सार्वजनिक व्यवस्था' को प्रतिकूल रूप से प्रभावित माना जायेगा या प्रभावित होने की संभावना समझा जायेगा अन्य बातो के साथ साथ यदि उप धारा (4) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति की कोई भी गतिविधि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आम जनता या उसके किसी भी वर्ग के बीच कोई न्कसान, जीवन, संपत्ति या लोक स्वास्थ्य का खतरा या अस्रक्षा की भावना पैदा कर रही है या पैदा होने की संभावना है। धारा 3 की उप-धारा (4) में यह भी प्रावधान है कि धारा 3 के उद्देश्य के लिये, किसी एक व्यक्ति को 'सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए किसी भी तरह से प्रतिकृल कार्य' करने वाला माना जाएगा, जब ऐसा व्यक्ति ' खतरनाक व्यक्ति हो 'और ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हो जो सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हो या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की अधिक संभावना रखते हो । इसलिए, यह निर्धारित करना आवश्यक हो जाता है कि क्या व्यक्ति एक 'खतरनाक व्यक्ति' होने के अलावा उसकी कथित गतिविधियाँ 'सार्वजनिक व्यवस्था' अभिव्यक्ति के दायरे में आती हैं। कानून और व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के बीच बीच अंतर करना होगा क्योंकि अक्सर ये दो अभिव्यक्तियाँ भ्रमित होती हैं और किसी व्यक्ति की गतिविधियों के संबंध

में संबंधित अधिकारियों द्वारा निरोध आदेश पारित किए जाते हैं जो विशेष रूप से कानून और व्यवस्था के क्षेत्र में आते हैं और जिनका सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव से कोई लेना-देना नहीं है। किसी व्यक्ति डोमेन के अंतर्गत आते है और जिसका सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव से कोई लेना देना नहीं है। किसी व्यक्ति की गतिविधियों को 'सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकृल किसी भी तरह से कार्य करने' की अभिव्यक्ति के भीतर लाने के लिए, कथित गतिविधियों का परिणाम और विस्तार और पह्ंच ऐसी प्रकृति की होनी चाहिए कि वे उससे निपटने के लिए सामान्य कानून की क्षमता से परे जाएं या समाज के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करने वाली उसकी विध्वंसक गतिविधियों को रोकें। यह अशांति की मात्रा और समाज या किसी इलाके के लोगों के जीवन की गति पर इसका प्रभाव है जो यह निर्धारित करता है कि क्या इस तरह की गतिविधि के कारण होने वाली अशांति केवल 'कानून और व्यवस्था' के उल्लंघन के बराबर है या यह 'सार्वजनिक व्यवस्था' के बराबर है। यदि गतिविधि 'सार्वजनिक व्यवस्था' की गडबड़ी की श्रेणी में आती है तो ऐसे अपराधी के साथ व्यवहार करना और उसके साथ कानून के तहत एक साधारण अपराधी से अलग व्यवहार करना अनिवार्य हो जाता है क्योंकि उसकी गतिविधियाँ कानून और व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था की सीमा से परे होंगी। अरूण घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1970) 1 एससीसी 98

के मामले में इस न्यायालय के पास कानून और व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच अंतर से निपटने का अवसर था। हिदायतुल्ला, मुख्य न्यायाधिपति (जैसा कि वे तब थे) ने अदालत के लिए बोलते हुए कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था कानून और व्यवस्था की तुलना में समुदाय को अधिक प्रभावित करेगी। सार्वजनिक व्यवस्था पूरे देश या यहां तक कि एक निर्दिष्ट इलाके को न में रखते ह्ये समुदाय के जीवन की समगति है। सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी को व्यक्तियों के खिलाफ निर्देशित कृत्यों से अलग या जाना चाहिये जो सार्वजनिक शांति में सामान्य गडबडी पैदा करने की सीमा तक समाज को परेशान नहीं करते है। यह अशांति का स्तर और किसी इलाके में सम्दाय के जीवन पर इसका प्रभाव है जो यह निर्धारित करता है कि क्या अशांति केवल कानून और व्यवस्था का उल्लंघन है। यह भी देखा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था के निहितार्थ गहरे है और यह जीवन की समान गति को प्रभावित करता है और सार्वजनिक व्यवस्था खते में पड जाती है क्योंकि अधिनियम के नतीजे सम्दाय के बडे वर्गी को प्रभावित करते है और उन्हें कानून और व्यवस्था का उल्लंघन और सार्वजनिक व्यवस्था को नष्ट करने के लिए उकसाते हैं। कोई भी कार्य अपने आप में उसकी गंभीरता का निर्धारक नहीं होता। अपनी ग्णवत्ता में यह दूसरे से अलग नहीं हो सकता है लेकिन इसकी क्षमता में यह बह्त अलग हो सकता है। प्नः पीयूष कांतिलाल मेहता बनाम प्लिस आय्क्त,

[1989] पूरक 1 एस. सी. सी. 322, के मामले में। इस न्यायालय ने यह विचार रखा कि किसी गतिविधि को सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिए कहा जा सकता है, यह दिखाने के लिए सामग्री होनी चाहिए कि आम जनता में असुरक्षा की भावना रही है। यदि किसी व्यक्ति का कोई कार्य जनता के सदस्यों के मन में दहशत या भय पैदा करता है जिससे समुदाय के जीवन की गति बिगड़ जाती है, तो इस तरह के कार्य का सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के सवाल पर सीधा असर पड़ता है। किसी अपराध का सामान्य उद्देश्य आवश्यक रूप से सार्वजनिक व्यवस्था के दायरे में नहीं आएगा, जिससे देश के सामान्य कानून के तहत निपटा जा सकता है।

10. अब इस फैसले की शुरूआत में उल्लिखित हिरासत के आधार और याचिकाकर्ता के खिलाफ कथित घटनाओं के सारांश पर लौटते हुये, यह कहा जा सकता है कि पहली घटना लगभग दिनांक 24.4.1993 को शाम लगभग 6.45 बजे हुई थी जिसमें बंदी-याचिकाकर्ता पर अपने कुछ सहयोगियों के साथ शिकायतकर्ता मोहम्मद हुसैन को शाहपुर के हेयर कटिंग सैलून के अंदर से घसीटने का आरोप है और याचिकाकर्ता के सहयोगियों ने रिवॉल्वर से चार राउंड गोलियां चलाईं, जिससे शिकायतकर्ता और एक अन्य ग्राहक घायल हो गये। शिकायतकर्ता मोहम्मद हुसैन स्वंय ने दिनांक 24.4.1993 को रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसकी एक प्रति रिकॉर्ड में

रखी गई है, यह दर्शाती है कि एक दिन पहले, यानी 23.4.1993 को लगभग 9:30 बजे शिकायतकर्ता मोहम्मद ह्सैन के छोटे भाई अमजद खान और याचिकाकर्ता के बीच घर की गली में स्कूटर का हॉर्न बजाने को लेकर झगडा ह्आ और यह उस संबंध में था कि अगले दिन यानी 24.4.1993 को याचिकाकर्ता और उसके सहयोगियों द्वारा हमले शिकायतकर्ता मोहम्ममद ह्सैन के साथ मारपीट की कथित घटना घटित ह्ई। उपरोक्त शिकायत में वर्णित शर्तो से यह बह्त स्पष्ट है कि आपराधिक गतिविधि एक व्यक्ति के खिलाफ निर्देशित की गई थी और घटना की प्रकृति से यह मान लेना मुश्किल है कि इसने इलाके की शांति को बाधित करने वाली सार्वजनिक व्यवस्था को जन्म दिया। अधिक से अधिक यह केवल एक व्यक्ति के खिलाफ निर्देशित एक आपराधिक कार्य था जिसका सार्वजनिक व्यवस्था के सवाल से कोई लेना-देना नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पहले दिन की घटना के कारण था कि याचिकाकर्ता ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता पर हमला करके उसे सबक सिखाने की योजना बनाई जब वह 24.4.1993 को हेयरकटिंग सैलून में देखा गया था। इसके अलावा घटना 24;4.1993 को हुई थी जबकि हिरासत आदेश 16 महीने से अधिक समय बीतने के बाद 19.8.1994 को पारित किया गया था। कथित पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधि और निरोध आदेश के बीच समय का यह लंबा अंतराल अपना महत्व खो देता है क्योंकि उक्त पूर्वाग्रहपूर्ण आचरण समय

के बिंद् पर अन्मानित नहीं था और इस निष्कर्ष के साथ कोई तर्कसंगत संबंध नहीं था कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरोध आवश्यक था। इस तरह की प्रानी घटना को हिरासत का आदेश पारित करने के लिए उचित आधार नहीं माना जा सकता है। दूसरी घटना दिनांक 11.4.1994 यह थी कि हिरासत में लिया गया याचिकाकर्ता अपराधी को शरण दे रहा था जो कि आईपीसी की धारा 212/214 के तहत अपराध है। आई. पी. सी. की धारा 212/214 के तहत अपराध याचिकाकर्ता के खिलाफ निरोध का आदेश पारित करने के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता है जैसाकि उक्त अपराध आई. पी. सी. के अध्याय XVI या XVII के तहत नहीं आता है। किसी व्यक्ति को अधिनियम की धारा 2 (सी) की परिभाषा के भीतर लाने के लिए यह दिखाना आवश्यक है कि ऐसा व्यक्ति भारतीय दंड संहिता के अध्याय XVI या XVII के अंतर्गत दंडनीय अपराध या शस्त्र अधिनियम के अध्याय 5 के अंतर्गत दंडनीय कोई भी अपराध या तो स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या नेता के रूप में आदतन अपराध करता है या अपराध करने का प्रयासकरताहै या ऐसा करने के लिये उकसाता है। लेकिन जैसा कि पहले बताया गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पहले डीसीबी की सीआर नंबर 7/94 की एफआईआर के अंतर्गत दिनांक 11.4.1994 को अपराध दर्ज किया गया था, आईपीसी की धारा 212/214 के अंतर्गत एक अपराध है जो कि आईपीसी के अध्याय XI के अंतर्गत

आता है और न कि अध्याय XVI या XVII के अंतर्गत, जो कि अधिनियम की धारा 2 (सी) की आवश्यकता है। इसलिये, इस घटना को निरोध अधिकारी की संतुष्टि का आधार नहीं बनाया जा सकता है कि याचिकाकर्ता एक आदतन अपराधी है, ताकि निरोध के आदेश को बनाए रखा जा सके।

11. यह हमें बंदी याचिकाकर्ता की आपराधिक गतिविधियों के बारे में बताता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि यह घटना 10.8.1994 को शाम 4 बजे और 12.8.1994 को 7 पीएम पर हुई थी। 10.8.1994 की घटना में याचिकाकर्ता को व्यापारी से 500 रुपये का सामान खरीदना बताया है और माल की कीमत की मांग पर, याचिकाकर्ता पर आरोप लगाया जाता है कि उसने उसे सार्वजनिक सड़क पर घसीटा और न केवल उसे पीटा, बल्कि वहां जमा ह्ए लोगों की ओर अपनी रिवॉल्वर को भी तान दिया । इसी तरह यह आरोप लगाया जाता है कि दिनांक 12.8.1994 को शाम लगभग 7 बजे हिरासत में लिये गये याचिकाकर्ता ने गवाह को सरदार गार्डन के पूर्वी हिस्से के पास सड़क पर रोक दिया और उसे पीटा क्योंकि याचिकाकर्ता को संदेह था कि वह याचिकाकर्ता और उसके सहयोगियों की असामाजिक गतिविधियों के बारे में पुलिस को सूचित कर रहा था। याचिकाकर्ता पर यह भी आरोप है कि वह रिवॉल्वर लेकर वहां जमा हुए लोगों की ओर भागा था। उपरोक्त दो घटनाओं और उनके अंकित मूल्य पर लगाए गए आरोपों को देखते हुए, यह समझना मुश्किल है कि वे

सार्वजिनक व्यवस्था से जुड़ी घटनाएं थीं। ये ऐसी घटनाएं थीं जो एकल व्यक्तियों के खिलाफ निर्देशित थीं, जिनका सार्वजिनक व्यवस्था के रखरखाव के लिए कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं था, जो जीवन की समान गति या इलाके की शांति और स्थिरता को बाधित करता था। इस तरह की आकस्मिक और अलग-अलग घटनाओं का शायद ही कोई प्रभाव हो सकता है जो जीवन की गित को प्रभावित कर सकता है या सार्वजिनक व्यवस्था को खतरे में डाल सकता है और लोगों को कानून और व्यवस्था का और उल्लंघन करने के लिए उकसा सकता है जिसके परिणामस्वरूप सार्वजिनक व्यवस्था बिगइ सकती है। जैसा कि पहले कहा गया है कि अधिनियम अपने आप में अपनी गंभीरता का निर्धारक नहीं है, बिल्क यह अधिनियम की क्षमता है जो मायने रखती है।

12. दिनांक 12.8.1994 की कथित घटना किसी व्यक्ति की इस संदेह पर पिटाई से संबंधित है कि वह याचिकाकर्ता की आपराधिक गतिविधियों के बारे में पुलिस को सूचित कर रहा था, आरोप इसके समर्थन में बिना किसी सामग्री के व्यापक है। ऐसा प्रतीत होता है कि न तो पुलिस को इसके बारे में कोई समय पर रिपोर्ट दी गई है और न ही कथित घटना के संबंध में बंदी-याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अपराध दर्ज किया गया है। दिनांक 10.8.1994 की एकमात्र घटना एक व्यापारी की कथित पिटाई से संबंधित है, जैसा कि पहले कहा गया था कि एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ

थी जिसका बड़े पैमाने पर जनता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं था। इसके अलावा, केवल दिनांक 10.8.1994 की एकमात्र घटना यह अभिनिर्धारित करने का औचित्य प्रदान नहीं करेगी कि याचिकाकर्ता आदतन अपराधों को कर रहा था या करने का प्रयास कर रहा था या अपराधों को करने के लिए उकसा रहा था जैसा कि अधिनियम की धारा 2 (सी) में विचार किया गया है क्योंकि अभिव्यक्ति 'आदतन' बार-बार और लगातार अपराध करने में निरंतरता का सूत्र प्रस्तुत करती है। हालाँकि, हमारी सुविचारित राय में उपरोक्त दो घटनाओं में से किसी को भी सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली घटना नहीं कहा जा सकता है और न ही इन आवारा और आकस्मिक कृत्यो से याचिकाकर्ता को धारा 2(सी) के अर्थ के भीतर एक खतरनाक व्यक्ति के रूप में ब्रांडेड किया जा सकता है, जो आदतन सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली या प्रभावित करने वाली गतिविधियों में संलग्न था। याचिकाकर्ता के कब्जे से बना किसी परमिट या लाईसेंस के 32 बोर की देशी रिवॉल्वर की बरामदगी के सबंधमें भी यही स्थिति है, जो शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत अपराध है। उक्त रिवॉल्वर मे जंग लगा हुआ पाया गया और उसकी बैरल टूटी हुई थी। बिना किसी अतिरिक्त चीज के केवल आग्नेयास्त्र रखने से मामला सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कृत्य के दायरे में नहीं आ सकता जैसा कि अधिनियम की धारा 3 में विचार किया

गया है जब तक कि धारा2 (सी) के घटक भी शामिल न हो। उपर चर्चा किये गये तथ्यो से यह पता चलता है कि ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जो उचित और निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच सके कि हिरासत में लिया गया याचिकाकर्ता आदतन आपराधिक गतिविधियो में लिप्त था और इसलिये, एक खतरनाक व्यक्ति था। इस प्रकार, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने मामले के उपरोक्त पहलुओ पर दिमाग लगाये बिना याचिकाकर्ता के खिलाफ हिरासत का आदेश पारित कर दिया और इसलिये, हिरासत के आदेश को यथावत नहीं रखा जा सकता।

13. नतीजतन, हम रिट याचिका को स्वीकार करते है और हिरासत के विवादित आदेश को अपास्त करते है और निर्देश देते है कि याचिकाकर्ता को तुरंत रिहा किया जाये।

याचिका स्वीकार की गई।

टीएनए

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।